8. अ. किराए पर प्राप्त किएं जाने वाला वाहन बीमित (Insured) होना चाहिये एवं वाहन के साथ कोई दुर्घटना होने की स्थिति में समस्त प्रकार का उत्तरदायित्व वाहन किराए पर देने वाली एजेंसी का होगा।

ब वाहन चोरी या क्षतिग्रस्त होने पर समस्त कानूनी कार्यवाही का उत्तरदायित्व संबंधित एजेन्सी का होगा।

9. मासिक किराये के तहत वाहन का उपयोग प्रतिमाह 1000 कि.मी.होगा। किसी माह में प्रवास की स्थिति में **1000 कि.मी.से अधिक उपयोग पर** प्रति किलोमीटर किराये की दर पृथक से दर्शाई जाये।

10. **वाहन मॉडल वर्ष 2015 से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये।** यदि नया वाहन क्रय कर प्रदाय किया जाता है तो तद्नुसार घोषणा पत्र सलंग्न करें। वाहन अच्छी हालत में होना चाहिए एवं उसे क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीयत होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करें।

11. आवेदन में मासिक दर समस्त करों सहित दर्शायी जाए। इसके अतिरिक्त **1000 कि.मी. से अधिक उपयोग पर** प्रति किलोमीटर किराये की दर (समस्त करों सहित) पृथक से दर्शाई जाये।

12. वाहन किराये पर देने वाली एजेन्सी द्वारा वाहन, सम्पूर्ण माह के लिये (अवकाश दिवसों सहित) निरन्तर वाहन चालक सहित किराये पर उपलब्ध कराया जाएगा। यदि किसी दिन वाहन उपलब्ध नहीं हुआ तो प्रत्येक दिवस के लिए आनुपातिक रूप से देय राशि के समान राशि की कटौती की जाएगी।

13. वाहन किराए पर लेने की अवधि आवश्यकतानुसार कम अथवा अधिक की जा सकती है, जिसकी सूचना पूर्व में दी जाएगी। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मूल निविदा, पुरानी शर्तो के साथ अधिकतम दो बार बढ़ाई जा सकती है।

14. वाहन मालिक/संस्था के स्वयं के नाम से कम से कम **03 वाहन टैक्सी कोटे** में पंजीयत होना चाहिये।

15. वाहन की टूट–फूट होने पर रिपेयरिंग का खर्च, नियमित रिपेयरिंग एवं सर्विसिंग आदि का व्यय वाहन मालिक को करना होगा। खराब होने की स्थिति में अन्य वाहन (अच्छी हालत में) उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि तीन दिवस तक लगातार वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उक्त वाहन की निविदा निरस्त की जा सकेगी।

16. निविदाकर्ता द्वारा रूपये 100/– के स्टाम्प पर शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हे समस्त शर्ते मान्य है।

17. **रूपये 20,000/– की अर्नेस्ट मनी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो इस विज्ञप्ति के जारी होने से पूर्व का न** हो तथा संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर, खण्डवा के पक्ष में देय हो, प्रस्तुत करना होगा। निविदा के साथ नियमानुसार 2 सीलबंद लिफाफे सलंग्न करना होंगे। **प्रथम सीलबंद लिफाफा "अ."** अर्नेस्ट मनी का होगा, जिस पर अर्नेस्ट मनी मय सह पत्रों के लिखा हो। **दूसरा सीलबंद लिफाफा "ब."** निविदा का होगा। सर्व प्रथम**"अ."** लिफाफा को खोलकर शर्ते पूर्ण करने वाली संस्थाओं की सूची तैयार की जाएगी। जिन संस्थाओं द्वारा शर्ते पूर्ण नहीं की जा सकेंगी उनका**"ब."** लिफाफा नहीं खोला जाएगा। तैयार की गई सूची के आधार पर निविदाकारों को न्यूनतम दरों के आधार पर प्रथम/द्वितीय सफल निविदाकार घोषित किया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय सफल निविदाकर्ताओं को छोड़कर शेष की अर्नेस्ट मनी वापस कर दी जायेगी।